रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) खुर्जा में अपेक्षित टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण डी० जी० आर० दनकौर-रोहतक शटल को खुर्जा तक बढ़ाना इस समय परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

खुर्जा जंकशन पर हुई दुर्घटना में मारे गये हरिजनों के परिवारों को क्षति-पूर्ति देना

4724. **श्री राम चरण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में खुर्जा जंकशन पर हुई रेलवे दुर्घटना में मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों में से अधिकांश हरिजन थे ?

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में मृतकों के परिवारों को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई अथवा तत्काल राहत के रूप में कितना धन दिया गया ; और

(ग) मृत व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) यह सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि रेल दुर्घटना में जो व्यक्ति मरे अथवा घायल हुए, उनकी जाति से सम्बन्धित विवरण कहीं दर्ज नहीं है।

(ख) इस दुर्घटना में मरे 2 रेल कर्मचारियों सहित 6 व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह के रूप में 3,000/-रुपये का भुगतान किया गया है। जिन अन्य तीन व्यक्तियों को घातक चोटें पहुंची, उनके मामले में अनुग्रह के रूप में कोई भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि भुगतान लेने के लिये उनका कोई निकट सम्बन्धी नहीं आया। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के, अन्तर्गत मृत रेल कर्मचारियों और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 82-ए के अधीन और इसके अन्तर्गत निर्मित रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियमों के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा है।

(ग) (1) श्री चौधरी, नं० 1 ए० जे० डी० सवारी गाड़ी का ड्राइवर।

(2) श्री हरवंश सिंह, नं० 1 ए० जे० डी० सवारी गाड़ी का फायरमैन।

(3) श्रीमती धनवन्ती, पत्नी श्री महीलाल, ग्राम नमसा, जिला-अलीगढ़।

(4) श्री रत्न लाल, सुपुत्र श्री भूदेव, ग्राम नमसा, जिला-अलीगढ़।

(5) कुमारी नेक्सी, सुपुत्री श्री महाबीर, ग्राम तलवार, जिला-बुलन्दशहर।

(6) पप्पू, सुपुत्र श्री गियासी राम, ग्राम नमसा, जिला-अलीगढ़।

(7) श्रीमती बिशा, पत्नी श्री गियासी राम, ग्राम नमसा, जिला अलीगढ़।

(8) श्री दिनेश कुमार, सुपुत्र श्री रमेश चन्द्र, मकान नं० 340, मोहल्ला माहाराम, शाहदरा, दिल्ली।

(9) श्री भूदेव, सुपुत्र श्री कुन्दन, ग्राम नमसा, जिला अलीगढ़।

Schemes for the uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

4725. SHRI RAMACHANDRA VEERAPPA : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the particulars of schemes which are under consideration of Government for the

uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(b) which of these schemes are likely to be completed during the years 1970-71 and 1971-72 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO) : (a) The following new Schemes are at present under consideration of this Department :—

(1) Pilot Project for disbursement of Post-matric scholarships to inter-State Scheduled Castes and Scheduled Tribes students at Delhi.

(2) Merit Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes students for post-matric studies.

(b) Decisions in both the cases are likely to be taken in the near future.

Allotment of Lands to Harijans of Orissa and Mysore

4726. SHRI RAMACHANDRA VEERAPPA : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the amount of land provided to Harijans in Orissa and Mysore during the current financial year ;

(b) the number of landless Harijans in those States ; and

(c) by what time Government will be able to provide land to all the Harijans in those States ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO) : (a) to (c). The information is being collected from the Governments of Orissa and Mysore and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

Running of Passenger Trains between Mukerian and Talwara (Northern Railway)

4727. SHRI JAI SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the reasons for not running passenger trains between Mukerian and Talwara Township Railway Stations of Northern Railway ; and

(b) whether there is any proposal under consideration to run passenger trains between the above two railway stations and if so, by when ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) The Railway line between Mukerian and Talwara is only a siding owned by Pong Dam authorities and is not open for passenger traffic.

(b) No.

मंडलीय अधीक्षक, समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन

4728. श्री क० मि० मधुकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर मंडल के मंडलीय अधीक्षक द्वारा 2 नवम्बर, 1970 को नरकटियागंज के निरीक्षण दौरे के दौरान वहां के रेलवे कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में उनके समक्ष एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था तथा उनको एक मांग पत्र भी दिया था और उनको अपनी कालोनी में दिखाने ले गये थे ;

(ख) यदि हां, तो नरकटियागंज के रेलवे कर्मचारियों ने मंडलीय अधीक्षक का ध्यान किन-किन मामलों की ओर दिलाया था तथा सरकार ने उन समस्याओं को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?